सं. 1/6(2)/2024-ई. ॥ (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
****

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 7 नवंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3 जून, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-ई.II(बी) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर, जो 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधन वेतनमान/ग्रेड में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रख रहे हैं, **01.07.2024** से मूल वेतन की मौजूदा दर **443%** से बढ़ाकर **455%** कर दी जाएगी।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 के का. ज्ञा. सं.1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाए, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के वेतनमान अपना लिए हैं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अ. साहु
(अभिमन्यु साहु)

उप सचिव,भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक अनुमोदन सूची के अनुसार)।